उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार

पत्रांकः 52/11(1)/PCS-2021/G-1/2023–24 दिनांकः 06 दिसम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है 'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2021' के चयन परिणाम के सापेक्ष प्राप्त विभिन्न अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों के संबंध में मा0 आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ–03 के अनुसार निस्तारित कर दिया गया है :–

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं अनुक्रमांक	निस्तारण आदेश
1	नेहा (अनुक्रमांक–253940)	अभ्यर्थी सुश्री नेहा द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 03.09.2024 के माध्यम से पी0सी0एस0–2021 हेतु विज्ञापित सहायक निदेशक (रसायन) कृषि सेवा श्रेणी–2 (रसायन शाखा) पद के सापेक्ष अनिवार्य अर्हता रखने एवं एवं प्रारम्भिक परीक्षा हेतु जारी कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक प्राप्त होने के बावजूद भी प्रार्थिनी को उक्त पद हेतु प्रारम्भिक परीक्षा में सफल घोषित नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए उक्त पद के सापेक्ष उनका साक्षात्कार आहूत किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में प्रश्नगत परीक्षा के संबंध में रिट याचिका संख्या–312/2022 (एस/बी) निष्ठा रावत एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 04 जुलाई, 2022 में पद कोड़ सहायक निदेशक (रसायन) (कृषि सेवा श्रेणी–2, रसायन शाखा) (कृषि विभाग) के संबंध में गठित विषय विशेषज्ञों की समिति की आख्या में अभ्यर्थिनी सुश्री नेहा (अनुक्रमांक–253940) द्वारा उक्त पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त आख्या के आलोक में अभ्यर्थिनी द्वारा पी0सी0एस0–2021 हेतु विज्ञापित पद संख्या–20 सहायक निदेशक (रसायन) कृषि सेवा श्रेणी–2 (रसायन शाखा) पद के सापेक्ष अनिवार्य शैक्षिक अर्हता न रखने के आधार पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद के सापेक्ष मुख्य परीक्षा हेतु सम्मिलित नहीं किया गया। अतः उक्त के आलोक में सुश्री नेहा के प्रत्यावेदन दिनांक 03.09.2024 में किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
2	प्रकाश सिंह राणा (अनुक्रमांक–212049)	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने प्रत्यावेदन दिनांक 09.09.2024 में प्रश्नगत परीक्षा के चयन परिणाम दिनांक 28.08.2024 में उप निबन्धक श्रेणी–2 पद के सापेक्ष मुख्य परीक्षा हेतु अनुसूचित जाति के कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक होने का उल्लेख करते हुए उनको साक्षात्कार हेतु सफल घोषित नहीं किये जाने पर उक्त प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परीक्षा के विज्ञापन के परिशिष्ट–7 के नोट–3 में स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित है कि अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी को भाषा के प्रश्नपत्र को छोड़कर अन्य प्रश्न–पत्रों में न्यूनतम 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही मुख्य परीक्षा

		की मेरिट सूची में सम्मिलित किया जायेगा। अवगत कराना है कि प्रकाश सिंह राणा अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित हुये हैं तथा उनके प्रश्नगत मुख्य परीक्षा के सप्तम प्रश्नपत्र (सामान्य अभिरूचि एवं आचार शास्त्र) में 48 अंक हैं, जो कि उक्त प्रश्न पत्र के पूर्णांक 200 अंक के 25% अर्थात् 50 अंक से कम हैं। उक्त के क्रम में प्रार्थी श्री प्रकाश सिंह राणा को साक्षात्कार हेतु सफल घोषित नहीं किया गया है। उक्तानुसार श्री प्रकाश सिंह राणा के प्रत्यावेदन दिनांक 09.09.2024 निस्तारित किया जाता है।
3	मुत्तलिब (अनुक्रमांक—334172)	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने प्रत्यावेदन दिनांक 18.09.2024 में प्रश्नगत परीक्षा के चयन परिणाम दिनांक 28.08.2024 में सहायक निदेशक, उद्यान (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग) के सापेक्ष अनारक्षित श्रेणी हेतु मुख्य परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स सें अधिक अंक प्राप्त होने एवं शैक्षिक अर्हता धारित करने के बावजूद भी प्रार्थी को साक्षात्कार हेतु सफल घोषित नहीं किये जाने के संबंध में जॉच करते हुए प्रार्थी के उक्त से अवगत कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। अवगत कराना है कि प्रश्नगत परीक्षा के विज्ञापन के परिशिष्ट—7 के नोट—3 में स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित है कि अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को भाषा के प्रश्नपत्र को छोड़कर अन्य प्रश्न—पत्रों में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही मुख्य परीक्षा की मेरिट सूची में सम्मिलित किया जायेगा। अवगत कराना है कि प्रार्थी मुत्तलिब अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित हुये हैं तथा उनके प्रश्नगत मुख्य परीक्षा के सप्तम प्रश्नपत्र (सामान्य अभिरूचि एवं आचार शास्त्र) में 59 अंक हैं, जो कि उक्त प्रश्न पत्र के पूर्णांक 200 अंक के 35% अर्थात 70 अंक से कम हैं। उक्त के क्रम में प्रार्थी श्री मुत्तलिब को साक्षात्कार हेतु सफल घोषित नहीं किया गया है। उक्तानुसार श्री मुत्तलिब के प्रत्यावेदन दिनांक 18.09.2024 निस्तारित किया जाता है।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव